



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 22, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. भारत-बांग्लादेश संबंध: राजनयिक संचार अंतराल और प्रत्यर्पण तनाव	2
2. स्वाइन फ्लू का प्रकोप: महामारी विज्ञान प्रोटोकॉल और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा	4
3. न्यायिक सेवा पात्रता: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर के न्यायाधीशों के लिए कानूनी वकालत नियम में संशोधन किया	5
4. यूपीआई की स्थिरता और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा: ज़ीरो-एमडीआर पर बहस	7
5. ब्रिक्स एसटीआई मंत्रिस्तरीय बैठक: वैश्विक तकनीकी सहयोग और समावेशी नवाचार	8
6. मौद्रिक नीति त्रिधा (Trilemma): नीतिगत रुख और दर पथ के बीच विचलन	10
7. यूडीआईएसई+ 2025-26 रिपोर्ट: स्कूली शिक्षा में क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	11
8. हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता: व्यापार और समुद्री सुरक्षा को सुरक्षित करना	13
9. मनरेगा का समापन: कानूनी परिवर्तन के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने पुरानी योजना को वैध ठहराया	14
10. भारत-यूके रक्षा सहयोग: रणनीतिक रोडमैप और हिंद-प्रशांत सुरक्षा ढांचा	16
11. गंगा बाढ़ के मैदान (Floodplain) नियम: पर्यावरण नियमों के संशोधनों को एनजीटी में चुनौती	17
12. स्वदेशी परमाणु विस्तार: 700 MWe PHWR प्रौद्योगिकी को निजी क्षेत्र द्वारा अपनाया जाना	19



1. भारत-बांग्लादेश संबंध: राजनयिक संचार अंतराल और प्रत्यर्पण तनाव

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **राजनयिक चूक (Diplomatic Faux Pas):** राष्ट्रपति भवन ने 'चेंज ऑफ गार्ड' (Change of Guard) समारोह को रद्द करने से संबंधित एक बयान जारी किया और बाद में उसे वापस ले लिया, जिसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के औपचारिक स्वागत का उल्लेख किया गया था।

- **विदेश मंत्रालय (MEA) की प्रतिक्रिया:** विदेश मंत्रालय ने तटस्थ रुख बनाए रखते हुए कहा कि उसके पास "अभी कहने के लिए कुछ नहीं है", जबकि ढाका ने पुष्टि की कि कोई भी आधिकारिक तिथियां अंतिम रूप से तय नहीं की गई हैं।
- **द्विपक्षीय निमंत्रण:** भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को एक स्टैंडअलोन द्विपक्षीय यात्रा और आगामी ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन दोनों के लिए निमंत्रण भेजा है।
- **अंतर्निहित तनाव:** अगस्त 2024 में शेख हसीना की बेदखली के बाद द्विपक्षीय संबंधों में तनाव आया है, जिन्होंने भारत में शरण ली थी।
- **प्रत्यर्पण की मांगें:** ढाका द्वारा शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करने के कारण तनाव बना हुआ है, जो बांग्लादेश में कानूनी कार्यवाही का सामना कर रही हैं, साथ ही नई दिल्ली की ओर से उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर आपत्तियां जताई गई हैं।
- **प्रोटोकॉल विसंगति:** यह घटना आंतरिक समन्वय अंतराल को उजागर करती है, क्योंकि आधिकारिक राजकीय यात्राओं की घोषणा और प्रबंधन पारंपरिक रूप से मेजबान सरकारों के परामर्श से विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **राजनयिक प्रोटोकॉल (Diplomatic Protocol):** अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजकीय समारोहों को नियंत्रित करने वाले नियमों, प्रक्रियाओं और शिष्टाचार की औपचारिक प्रणाली।
- **प्रत्यर्पण (Extradition):** वह आधिकारिक प्रक्रिया जिसके तहत एक राज्य किसी अपराध के आरोपी या दोषी व्यक्ति को दूसरे राज्य को सौंपता है।
- **राजनीतिक शरण (Political Asylum):** अपने गृह राज्य में राजनीतिक उत्पीड़न से भाग रहे किसी विदेशी नागरिक को किसी देश द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सुरक्षा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) जो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देते हैं।
- **प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (Extradition Act, 1962):** भारत से और भारत के लिए भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण को नियंत्रित करता है। धारा 31 के तहत, यदि वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है, राजनीतिक प्रकृति का है, तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।
- **कार्य आवंटन नियम, 1961 (Transaction of Business Rules, 1961):** यह आदेश देता है कि विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों और आधिकारिक विदेशी यात्राओं से जुड़े मामले विदेश मंत्रालय के परिचालन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

निष्कर्ष

सुचारू राजनयिक संचालन संस्थागत निकायों के बीच सावधानीपूर्वक समन्वय पर गहराई से निर्भर करता है। घरेलू प्रशासनिक त्रुटियों से परे, राजनीतिक संरक्षण बनाए रखने के लिए जटिल प्रत्यर्पण अनुरोधों और क्षेत्रीय संप्रभुता संबंधी चिंताओं के बीच विचारशील जुड़ाव की आवश्यकता होती है।

2. स्वाइन फ्लू का प्रकोप: महामारी विज्ञान प्रोटोकॉल और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- H1N1 मामलों में उछाल:** दिल्ली ने स्वाइन फ्लू के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की, दो सप्ताह के भीतर 1,777 पुष्टि किए गए मामले दर्ज किए गए, जिससे सभी आयु समूहों में स्वास्थ्य निगरानी बढ़ा दी गई।
- आनुवंशिक उत्परिवर्तन (Genetic Mutation) का संदेह:** महामारी वैज्ञानिकों का जोर है कि यह निर्धारित करने के लिए वायरल स्ट्रेन का आनुवंशिक अनुक्रमण (Genetic Sequencing) महत्वपूर्ण है कि क्या कोई उत्परिवर्तन (Mutation) या बढ़ा हुआ पारस्परिक संचरण इस वर्तमान उछाल को संचालित कर रहा है।
- नैदानिक संवेदनशीलता:** उच्च जोखिम वाले समूहों में बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और मधुमेह या हृदय रोग जैसी अंतर्निहित बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति शामिल हैं, जो निमोनिया और एक्यूट रेस्पिरैटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम (ARDS) के जोखिम का सामना करते हैं।
- उपचार और निदान:** 48 घंटों के भीतर एंटीवायरल दवा ओसेल्टामिविर (Oseltamivir) का शुरुआती सेवन मानक बना हुआ है, जबकि गले/नाक के स्वाब का RT-PCR प्राथमिक नैदानिक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- अतिरिक्त-हृदय संबंधी जटिलताएं:** उभरती हुई मेडिकल रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि H1N1 संक्रमण श्वसन पथ से परे फैलता है, जो कभी-कभी हृदय के ऊतकों को प्रभावित करता है और एरिथिमिया (arrhythmia) या हार्ट फेलियर का कारण बनता है।
- प्रशासनिक तैयारी:** स्वास्थ्य अधिकारियों ने अस्पताल के बिस्तरों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता की पुष्टि की है, और स्वास्थ्य सुविधाओं को सख्त वेक्टर नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया है।

IN A NUTSHELL

WHAT IS SWINE FLU or H1N1 VIRUS?



- A type of Influenza A virus that infects nose, throat, lungs.
- Spreads mainly through

droplets when an infected person coughs, sneezes or talks.

- First emerged in pigs.

2. THE SYMPTOMS



- Fever
- Headache
- Cough
- Muscle ache
- Tiredness

• Chills & sweating
Mild illness can quickly turn into severe condition

3. MEDICINES

OSELTAMIVIR
Antiviral works best if taken within 48 hours.

PARACETAMOL
for fever, body ache.

NO ANTIBIOTICS

WHAT DOCTORS ADVISE?

Take flu vaccine once a year.

Best time: **October.**

- Maintain hygiene
- Stay hydrated
- Consult doctor early
- Take adequate rest

General precautions

- Wear a mask in crowded places
- Wash hands frequently
- Avoid close contact with sick people
- Keep spaces well-ventilated

आवश्यक परिभाषाएं

- H1N1 वायरस (स्वाइन फ्लू):** इन्फ्लूएंजा A वायरस के एक स्ट्रेन के कारण होने वाला एक श्वसन रोग जो वायुमार्ग को संक्रमित करता है और श्वसन बूंदों (Droplets) के माध्यम से फैलता है।
- एंटीवायरल दवा (Antiviral Drug):** रोगजनक के विकास या प्रतिकृति (Replication) को रोककर विशेष रूप से वायरल संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की एक श्रेणी।
- जीनोमिक अनुक्रमण (Genetic Sequencing):** संरचनात्मक उत्परिवर्तन या वंशावली परिवर्तनों का पता लगाने के लिए वायरल जीनोम में सटीक न्यूक्लिक एसिड अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा प्रदान करने के राज्य के कर्तव्य को अनिवार्य बनाने के लिए विस्तारित किया है।

- **अनुच्छेद 47 (DPSP):** राज्य को पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का निर्देश देता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को प्राथमिक राज्य दायित्व के रूप में नामित किया जाता है।
- **महामारी रोग अधिनियम, 1897 (Epidemic Diseases Act, 1897):** धारा 2 के तहत राज्य सरकारों को खतरनाक संक्रामक प्रकोपों को रोकने के लिए अस्थायी नियम तैयार करने की विशेष कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है।
- **सातवीं अनुसूची (राज्य सूची - प्रविष्टि 6):** "लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय" को राज्य के विधायी अधिकार क्षेत्र के तहत नामित करती है।

निष्कर्ष

मौसमी संक्रामक प्रकोपों से निपटने के लिए जीनोमिक निगरानी, शुरुआती चिकित्सीय हस्तक्षेप और जन जागरूकता को जोड़ने वाली एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता होती है। एंटीबायोटिक्स पर अत्यधिक निर्भरता को कम करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सामाजिक-आर्थिक घबराहट पैदा किए बिना उभरते वायरल उत्परिवर्तनों का लचीला प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन एवं सामाजिक न्याय):** स्वास्थ्य और शासन तंत्र से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- **जीएस पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):** जैव प्रौद्योगिकी, वायरल उत्परिवर्तन और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के क्षेत्रों में जागरूकता।

3. न्यायिक सेवा पात्रता: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर के न्यायाधीशों के लिए कानूनी वकालत नियम में संशोधन किया

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **जनादेश में संशोधन:** मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 2:1 बहुमत वाली पीठ ने मई 2025 के फैसले में संशोधन किया, जिसमें सिविल जज (जूनियर डिविजन) प्रवेश के लिए सख्त 3-वर्षीय बार प्रैक्टिस आवश्यकता को बदलकर 1-वर्षीय वकालत का जनादेश कर दिया गया।
- **दो साल की संक्रमण अवधि (Transition Window):** 20 मई, 2025 और 31 मार्च, 2027 के बीच जारी न्यायिक भर्ती अधिसूचनाओं के लिए, कानून के नए स्नातक पूर्व प्रैक्टिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना आवेदन करने के लिए पात्र रहेंगे।
- **मानित वकालत प्रावधान (Deemed Practice Provision):** संक्रमण अवधि के दौरान आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 1 वर्ष का अभ्यास पूरा कर चुका माना जाएगा, जिससे 2025 के फैसले के कारण हुए अचानक करियर व्यवधानों में राहत मिलेगी।
- **संरचित संस्थागत विकल्प:** कम हुए बार अभ्यास की भरपाई के लिए, चयनित उम्मीदवारों को राज्य न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष के गहन प्रशिक्षण के बाद 1 वर्ष की देखरेख वाली लॉ क्लर्कशिप से गुजरना होगा।

- **क्लर्कशिप का विवरण:** 1-वर्षीय क्लर्कशिप का विभाजन जिला न्यायाधीश/उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारी के तहत 6 महीने और उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश के तहत 6 महीने है।
- **मूल्यांकन और पुष्टि:** संकाय/प्रशिक्षुओं को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आधा सकल पारिश्रमिक प्राप्त होगा; नियमित सेवा में पुष्टि पर्यवेक्षी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत एक संतोषजनक प्रदर्शन रिपोर्ट पर निर्भर करती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **सिविल जज (जूनियर डिविजन):** अधीनस्थ न्यायपालिका में प्राथमिक प्रवेश स्तर के न्यायिक अधिकारी, जिन्हें निर्दिष्ट वित्तीय सीमाओं तक नागरिक विवादों का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है।
- **लॉ क्लर्कशिप (Law Clerkship):** एक संरचित प्रशिक्षण अवधि जहां कानून स्नातक कानूनी शोध, केस की तैयारी और अदालती कार्यवाही में मौजूदा न्यायाधीश की सहायता करता है।
- **अधीनस्थ न्यायपालिका (Subordinate Judiciary):** संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के प्रशासनिक और न्यायिक पर्यवेक्षण के तहत काम करने वाले जिला न्यायालयों और निचले न्यायाधिकरणों का कैडर।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 235:** राज्य की न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश से नीचे) के व्यक्तियों के नियंत्रण, भर्ती, पदस्थापना और पदोन्नति का अधिकार संबंधित उच्च न्यायालय में निहित करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 234:** यह निर्धारित करता है कि राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद बनाए गए नियमों के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती हैं।
- **ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामले:** ऐतिहासिक फैसलों ने स्थापित किया कि राज्यों में सेवा शर्तों, प्रशिक्षण और पात्रता नियमों का मानकीकरण संस्थागत दक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखता है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का संतुलित निर्णय युवा कानूनी उम्मीदवारों के लिए समता के साथ अदालती परिचितता के लिए संस्थागत जरूरतों सामंजस्य बिठाता है। कच्चे मुकदमेबाजी की अवधि को संरचित न्यायिक अकादमी प्रशिक्षण और पर्यवेक्षित क्लर्कशिप के साथ प्रतिस्थापित करना शुरुआती करियर पेशेवर पथ की रक्षा करते हुए न्यायिक प्रेरण का आधुनिकीकरण करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था एवं शासन):** न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज; न्यायिक नियुक्तियां और अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण।
- **जीएस पेपर II (संवैधानिक ढांचा):** शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 234 और 235 के तहत वैधानिक नियम निर्माण।

4. यूपीआई की स्थिरता और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा: ज़ीरो-एमडीआर पर बहस

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- व्यापक लेनदेन पैमाना:** 2025-26 में, यूपीआई (UPI) ने लगभग 24,000 करोड़ लेनदेन संसाधित किए, जिनका मूल्य ₹314 लाख करोड़ था, जो दुनिया के वास्तविक समय के डिजिटल भुगतानों का लगभग आधा हिस्सा है।
- वैधानिक बदलाव:** संसद ने कराधान और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2026 पारित किया, जिसने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A में संशोधन किया। यह सरकार के लिए निरपेक्ष ज़ीरो-एमडीआर (Zero-MDR) जनादेश को बनाए रखने के बजाय संभावित भुगतान शुल्कों को अधिसूचित करने का वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- छोटे व्यापारियों के अनुकूल प्रोफाइल:** यूपीआई लेनदेन मात्रा का एक बड़ा हिस्सा सूक्ष्म भुगतानों से बना है; खुदरा व्यापारी लेनदेन का 86% हिस्सा ₹500 से कम का है, जो सब्जी विक्रेताओं, ऑटो चालकों और किराना दुकानों को सेवा प्रदान करता है।
- वित्तीय लागत में बचत:** डिजिटल लेनदेन भौतिक मुद्रा की छपाई, भंडारण और नकदी प्रबंधन के खर्चों में राज्य को सालाना अनुमानित ₹5,000 से ₹6,400 करोड़ की बचत कराते हैं।
- सार्वजनिक वस्तु का तर्क:** विशेषज्ञों का तर्क है कि डिजिटल बुनियादी ढांचा एक संप्रभु सार्वजनिक वस्तु के रूप में कार्य करता है; कोई भी लगाया गया मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR) मूल्य-संवेदनशील उपयोगकर्ताओं को वापस नकद लेनदेन की ओर धकेलने का जोखिम पैदा करता है।
- वित्तीय मूल्य प्रस्ताव:** बैंकों को काउंटर लेनदेन लागत में कमी (भौतिक काउंटरों के लिए ₹40 - 50 की तुलना में यूपीआई के लिए एक रुपये का कुछ हिस्सा) और कम निष्क्रिय नकदी प्रवाह के माध्यम से काफी लाभ होता है, जिससे ऋण जारी करने की क्षमता बढ़ती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR):** डिजिटल लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए अधिग्रहणकर्ता बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी व्यापारी से लिया जाने वाला प्रतिशत शुल्क।
- डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI):** खुले, परस्पर संचालित (interoperable), प्रोटोकॉल-आधारित तकनीकी तंत्र जो राष्ट्रीय पैमाने पर आवश्यक सार्वजनिक और निजी सेवाओं की डिलीवरी को सक्षम बनाते हैं।
- इंटरकनेक्शन वर्क-डन सिद्धांत:** एक दूरसंचार और नेटवर्किंग नियामक अवधारणा जहां भाग लेने वाले नेटवर्क नोड्स को केवल निष्पादित परिचालन प्रसंस्करण भार के लिए मुआवजा दिया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007:** भारत में डिजिटल भुगतान तंत्र को विनियमित और पर्यवेक्षित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को प्राधिकरण के रूप में नामित करने वाला प्राथमिक विधान।
- **धारा 10A संशोधन (2026):** अधिसूचित डिजिटल मोड के लिए शुल्क लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध को एक सक्षम प्रावधान से बदलता है जो कार्यकारी को लेनदेन शुल्क पर निर्णय लेने का विवेक देता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(b):** राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) जो राज्य को यह सुनिश्चित करने की दिशा में नीति निर्देशित करने का आदेश देते हैं कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण आम भलाई के काम आए।

निष्कर्ष

यूपीआई को एक सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में मानने के लिए कम मूल्य वाले खुदरा लेनदेन की रक्षा हेतु इसके खुले पहुंच मॉडल को बनाए रखने की आवश्यकता है। अंतिम-उपयोगकर्ता लेवी लगाने के बजाय कम नकद प्रबंधन से उत्पन्न सार्वजनिक बचत के माध्यम से भुगतान बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण करना दीर्घकालिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करता है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सुधार और मौद्रिक प्रणाली की दक्षता।
- **जीएस पेपर II (शासन):** नीति निर्माण, वैधानिक ढांचे के तहत कार्यकारी नियम, और कल्याणकारी अर्थशास्त्र।

5. ब्रिक्स एसटीआई मंत्रिस्तरीय बैठक: वैश्विक तकनीकी सहयोग और समावेशी नवाचार

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **14वीं ब्रिक्स एसटीआई मंत्रिस्तरीय बैठक:** चेन्नई में आयोजित, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें उभरती प्रौद्योगिकियों को वैश्विक परिवर्तन के मुख्य चालकों के रूप में रेखांकित किया गया।
- **2026 ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय:** भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत अपनाया गया व्यापक विषय "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) है।
- **4-स्तंभ तकनीकी ढांचा:** भारत ने राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत लाभ सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक नवाचार को सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ बनाने की वकालत की।
- **अग्रणी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत सामग्री, जैव प्रौद्योगिकी, फोटोनिक्स, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग सहित महत्वपूर्ण सहयोग क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया।

- **घरेलू प्रमुख पहलों का एकीकरण:** मानव-केंद्रित विकास के मॉडल के रूप में नेशनल क्वांटम मिशन, बायो-E3 नीति, राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI) जैसी प्रमुख राष्ट्रीय पहलों का उल्लेख किया गया।
- **कार्रवाई योग्य सहयोग के अवसर:** ग्लोबल साउथ (Global South) के लिए तैयार किए गए अनुसंधान बुनियादी ढांचे को साझा करने, प्रतिभा गतिशीलता, स्टार्टअप साझेदारी और नवाचार वित्तपोषण में अधिक ब्रिक्स जुड़ाव का आह्वान किया गया।

आवश्यक परिभाषाएं

- **अग्रणी प्रौद्योगिकियां (Frontier Technologies):** उच्च-प्रभाव वाली, तेजी से विकसित होने वाली प्रौद्योगिकियां—जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, और बायो-E3—जिनमें पारंपरिक उद्योगों को बदलने और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को पुनर्परिभाषित करने की क्षमता है।
- **ग्लोबल साउथ (Global South):** मुख्य रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और ओशिनिया में स्थित विकासशील, उभरते और कम आय वाले देशों के लिए एक सामूहिक शब्द।
- **डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI):** ओपन-सोर्स, परस्पर संचालित, प्रोटोकॉल-आधारित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो जनसंख्या स्तर पर न्यायसंगत सार्वजनिक और निजी सेवा वितरण को सक्षम बनाते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(c):** राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) जो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देते हैं।
- **सातवीं अनुसूची (संघ सूची - प्रविष्टि 65 एवं 66):** प्रौद्योगिकी संस्थानों, वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च शिक्षा समन्वय और वैज्ञानिक/तकनीकी शिक्षा को अनन्य संसदीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नामित करती है।
- **बायो-E3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी):** केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित ढांचा जो उच्च-प्रदर्शन जैव-निर्माण, परिपत्र जैव-अर्थव्यवस्था और बायो-फाउंड्रीज को बढ़ावा देता है।
- **नेशनल क्वांटम मिशन (NQM):** क्वांटम तकनीक में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बीज देने, पोषित करने और बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार नीतिगत ढांचा।

निष्कर्ष

14वीं ब्रिक्स एसटीआई मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत का जोर मानव-केंद्रित, न्यायसंगत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की ओर बदलाव को रेखांकित करता है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, क्वांटम विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी को वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में स्थापित करके, भारत पूरे ग्लोबल साउथ में सतत विकास के लिए उभरती तकनीक का लाभ उठाने की अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

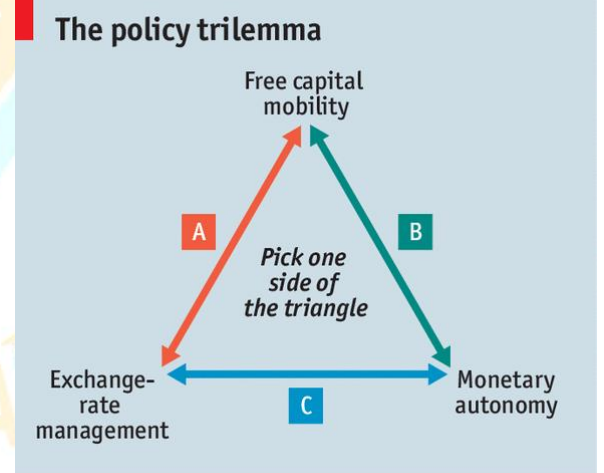
यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (BRICS); भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव।
- **जीएस पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):** प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण; नई तकनीक विकसित करना; आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्रों में जागरूकता।

6. मौद्रिक नीति त्रिधा (Trilemma): नीतिगत रुख और दर पथ के बीच विचलन

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **रेपो दर को अपरिवर्तित रखा गया:** आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने मौद्रिक नीति के तटस्थ रुख को बनाए रखते हुए बेंचमार्क रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया।
- **रुख में विसंगति:** हालांकि नीति संकल्प ने एक उदार (Dovish) स्वर पेश किया, लेकिन प्रकाशित एमपीसी बैठक के विवरण ने आंतरिक सदस्यों के बीच अंततः नीति को कड़ा करने के प्रति मजबूत सख्त (Hawkish) झुकाव का खुलासा किया।
- **नकारात्मक वास्तविक दरें:** मुद्रास्फीति अनुमान (Q3 के लिए 5.9%, Q4 के लिए 5.5%, और Q1 FY27 के लिए 5.3%) नीति दर से अधिक हैं, जिससे आगे के दृष्टिकोण पर वास्तविक ब्याज दरें नकारात्मक क्षेत्र में चली जाती हैं।
- **संवृद्धि बनाम मुद्रास्फीति गतिशीलता:** केंद्रीय बैंक ने लचीली घरेलू मांग और विनिर्माण व सेवाओं में निरंतर विस्तार पर प्रकाश डाला, जिससे उच्च मुद्रास्फीति अनुमानों के साथ-साथ लंबे समय तक मौद्रिक ढील पर सवाल उठे हैं।
- **वैश्विक अनिश्चितता का समानांतर:** इसी तरह की नीतिगत दुविधाएं वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रही हैं; अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने वृद्धिशील दर वृद्धि के लिए आंतरिक सदस्यों के समर्थन का सामना करते हुए ब्याज दरों को बनाए रखा।
- **अक्टूबर नीति आउटलुक:** मानसून कवरेज, कृषि उत्पादन और वैश्विक ऊर्जा मूल्य रुझानों से संबंधित स्पष्टता यह निर्धारित करेगी कि एमपीसी अपना रुख बदलती है या बेंचमार्क ब्याज दरों में समायोजन करती है।



Economist.com

आवश्यक परिभाषाएं

- **सख्त (Hawkish) बनाम उदार (Dovish) रुख:** एक सख्त रुख उच्च ब्याज दरों के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने को प्राथमिकता देता है, जबकि एक उदार रुख कम ब्याज दरों या दर में कटौती के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देता है।
- **वास्तविक ब्याज दर:** मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नाममात्र ब्याज दर ($\text{वास्तविक दर} = \text{नाममात्र ब्याज दर} - \text{मुद्रास्फीति दर}$); नकारात्मक वास्तविक दरें दर्शाती हैं कि मुद्रास्फीति नाममात्र प्रतिफल से अधिक है।
- **रेपो दर:** वह बेंचमार्क दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB:** मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत दर निर्धारित करने के लिए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत करती है।
- **लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यकीकरण (FIT) ढांचा:** धारा 45ZA के तहत वैधानिक जनादेश जिसके तहत आरबीआई को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को $\pm 2\%$ के सहनशीलता बैंड के साथ 4% पर बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
- **आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZL:** बैठक के 14वें दिन एमपीसी बैठक के मिनटों के प्रकाशन को अनिवार्य बनाती है, जिसमें व्यक्तिगत मतदान रिकॉर्ड और सदस्यों के बयानों का विवरण होता है।

निष्कर्ष

तटस्थ रुख और अंतर्निहित सख्त भावनाओं के बीच विचलन मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने और आर्थिक सुधार का समर्थन करने के बीच जटिल व्यापार-बंद (trade-off) को दर्शाता है। चूंकि लगातार आपूर्ति-पक्ष व्यवधान वास्तविक ब्याज दरों को अस्थिर करने का जोखिम उठाते हैं, भविष्य की मौद्रिक कार्रवाई पूरी तरह से आने वाले मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा पर निर्भर करेगी।

यूपीएससी प्रासंगिकता

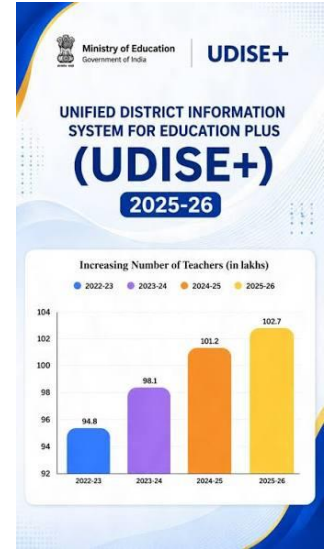
- **जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था):** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों लामबंदी, वृद्धि, विकास और मौद्रिक नीति तंत्र से संबंधित मुद्दे।
- **जीएस पेपर III (बैंकिंग और मौद्रिक क्षेत्र):** मौद्रिक नीति समिति की संरचना और जनादेश, मुद्रास्फीति लक्ष्यकीकरण, और ब्याज दर संचरण।

7. यूडीआईएसई+ 2025-26 रिपोर्ट: स्कूली शिक्षा में क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक असमानताएं

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **सकल-शैक्षणिक पैमाना:** यूडीआईएसई+ (UDISE+) 2025-26 रिपोर्ट पूरे भारत में 14.7 लाख स्कूलों, 24 करोड़ छात्रों और 1.02 करोड़ शिक्षकों का मूल्यांकन करती है, जो सकल नामांकन, प्रतिधारण और बुनियादी ढांचे में कुल वृद्धि को दर्शाती है।
- **आधार सीडिंग और वितरण:** आंध्र प्रदेश 99.6% के साथ आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) में सबसे आगे है, जबकि मेघालय राष्ट्रीय औसत 90.2% की तुलना में सबसे कम 35% दर्ज करता है।
- **संस्थागत संरचना:** पश्चिम बंगाल में बुनियादी और प्रारंभिक स्कूलों की उच्चतम हिस्सेदारी (79%) है, जबकि चंडीगढ़ माध्यमिक स्कूल के अनुपात में (83%) सबसे आगे है।

- **सामाजिक नामांकन जनसांख्यिकी:** राष्ट्रीय स्तर पर, सकल नामांकन अनुपात (GER) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए उच्चतम (49%) है, इसके बाद सामान्य (27%), अनुसूचित जाति (17%), और अनुसूचित जनजाति (10%) का स्थान है।
- **छात्र-शिक्षक अनुपात में भिन्नता:** माध्यमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) गंभीर अंतर-राज्यीय भिन्नता दिखाता है, जो झारखंड (43) और उत्तर प्रदेश में चरम पर है, जबकि सिक्किम में यह सबसे कम (6) है।
- **ड्रॉपआउट में असमानता:** बिहार में प्रारंभिक (7.9%) और मध्य स्तर (9%) पर उच्चतम ड्रॉपआउट दर दर्ज की गई है, जबकि लद्दाख में माध्यमिक स्तर पर सबसे अधिक 14.8% ड्रॉपआउट दर दर्ज की गई है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **सकल नामांकन अनुपात (GER):** आयु पर ध्यान दिए बिना, शिक्षा के एक विशिष्ट स्तर पर कुल नामांकन, जिसे उसी स्तर से संबंधित आधिकारिक स्कूल-आयु आबादी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- **छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR):** दिए गए शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के दिए गए स्तर पर प्रति शिक्षक छात्रों की औसत संख्या।
- **लैंगिक समानता सूचकांक (GPI):** पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा तक सापेक्ष पहुंच को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया एक सामाजिक-आर्थिक सूचकांक, जिसकी गणना पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या को विभाजित करके की जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21A:** मौलिक अधिकार जो राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश देता है।
- **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009:** वैधानिक ढांचा जो छात्र-शिक्षक अनुपात, बुनियादी ढांचे के मानकों और प्रवेश में गैर-भेदभाव के मानदंडों को निर्दिष्ट करता है।
- **अनुच्छेद 46 (DPSP):** राज्य को विशेष देखभाल के साथ लोगों के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

जबकि यूडीआईएसई+ 2025-26 राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा मेट्रिक्स में मात्रात्मक विस्तार को प्रदर्शित करता है, विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक स्तरों में छात्र-शिक्षक अनुपात, बुनियादी ढांचे और ड्रॉपआउट में संरचनात्मक असमानताएं बनी हुई हैं। समावेशी मानव पूंजी विकास हासिल करने के लिए लक्षित वित्तपोषण और न्यायसंगत शिक्षक आवंटन के माध्यम से राज्य-स्तरीय हस्तक्षेपों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन एवं सामाजिक न्याय):** शिक्षा, मानव संसाधन और सामाजिक समावेशन तंत्र से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- **जीएस पेपर II (संवैधानिक एवं वैधानिक ढांचा):** अनुच्छेद 21A, RTE अधिनियम का कार्यान्वयन, और शैक्षिक नीति निष्पादन में संघीय समन्वय।

8. हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता: व्यापार और समुद्री सुरक्षा को सुरक्षित करना

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- क्वाड आईपीएमडीए ढांचा:** 2022 में क्वाड के तहत शुरू किया गया 'इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' (IPMDA) क्षेत्रीय खतरों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए वास्तविक समय पर, तकनीक-आधारित समुद्री डेटा साझाकरण प्रदान करता है।
- महत्वपूर्ण भू-आर्थिक मार्ग:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र मलाक्का, सुंडा, लोंबोक, होर्मुज और बाब-अल-मंदेब जैसे महत्वपूर्ण जलडमरूमध्यों के माध्यम से लगभग \$7 ट्रिलियन के वार्षिक व्यापार को सुगम बनाता है।
- निगरानी अंतराल को संबोधित करना:** कई महासागरीय और छोटे मछली पकड़ने वाले जहाज प्रतिबंधों से बचने, तस्करी करने या अवैध रूप से मछली पकड़ने में शामिल होने के लिए ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) ट्रांसपोंडर को बंद ("गोइंग डार्क") करके नियामक ढांचे को दरकिनार करते हैं।
- ग्रे-ज़ोन रणनीतियों का मुकाबला:** रणनीतिक समुद्री गलियारों में गैर-सैन्य दबाव और ग्रे-ज़ोन संचालन तैनात करने वाले राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं का मुकाबला करने के लिए बहुस्तरीय प्रौद्योगिकी एकीकरण आवश्यक है।
- संस्थागत तालमेल:** भारत का 'इन्फॉर्मेशन फ़्यूजन सेंटर - इंडियन ओशन रीजन' (IFC-IOIR) एक प्राथमिक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसे उन्नत डेटा प्रोसेसिंग के लिए अमेरिका से 'सीविज़न' (SeaVision) तकनीक की भारत की खरीद से बल मिला है।
- छोटे तटीय देशों को सशक्त बनाना:** बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, सेशेल्स और फिजी जैसे क्षमता-सीमित राष्ट्र साझा उपग्रह, रडार और रेडियो-फ्रीक्वेंसी निगरानी बुनियादी ढांचे से सीधे लाभान्वित होते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA):** वैश्विक समुद्री क्षेत्र से जुड़ी किसी भी ऐसी चीज़ की प्रभावी समझ जो सुरक्षा, संरक्षा, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है।
- ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS):** जहाजों पर ट्रांसपोंडर का उपयोग करने वाली एक स्वचालित ट्रैकिंग प्रणाली जो टक्कर से बचने और ट्रैकिंग के लिए स्थान, गति और मार्ग प्रसारित करती है।
- ग्रे-ज़ोन ऑपरेशन्स:** ज़बरदस्ती की जाने वाली ऐसी कार्रवाइयां जो पारंपरिक सैन्य संघर्ष की सीमा से नीचे आती हैं, जिनका उद्देश्य सशस्त्र प्रतिक्रियाओं से बचते हुए यथास्थिति की व्यवस्था को बदलना होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- अंकलॉस/UNCLOS (1982):** समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जो नेविगेशन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 87), निर्दोष मार्ग का अधिकार (अनुच्छेद 17), और खुले समुद्र की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए राज्यों के दायित्वों को स्थापित करता है।

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(c):** राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) जो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देते हैं।
- **सागर (SAGAR) विजन:** 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (Security and Growth for All in the Region), हिंद महासागर में सहयोगात्मक समुद्री सुरक्षा को निर्देशित करने वाला भारत का विदेश नीति ढांचा।

निष्कर्ष

निर्बाध समुद्री व्यापार व्यापक ट्रेकिंग और बहुपक्षीय पारदर्शिता पर निर्भर करता है। क्राड, आसियान और तटीय भागीदारों के साथ आईपीएमडीए (IPMDA) संरचना को मजबूत करना साझा डेटा को मजबूत निवारक क्षमता में परिवर्तित करता है, जिससे संचार के खुले समुद्री मार्ग सुरक्षित रहते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (Quad); हिंद-प्रशांत रणनीति और समुद्री सुरक्षा ढांचा।
- **जीएस पेपर III (आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा):** तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां; निगरानी और खुफिया जानकारी साझा करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका।

9. मनरेगा का समापन: कानूनी परिवर्तन के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने पुरानी योजना को वैध ठहराया

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **न्यायिक मान्यता:** सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निरस्त किए गए मनरेगा (MGNREGA) की "एक कल्याणकारी योजना" के रूप में सराहना की, जो न तो कोई मुफ्त की रेवड़ी थी और न ही शोषक, और ग्रामीण आजीविका में इसके योगदान को स्वीकार किया।
- **वीबी-जी राम जी अधिनियम में बदलाव:** नया 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' अधिनियम मनरेगा का स्थान लेता है, जिससे प्रति परिवार प्रति वर्ष गारंटीकृत कार्य दिवस 100 से बढ़कर 125 हो गए हैं।
- **संरचनात्मक नीतिगत बदलाव:** नागरिक अधिकार याचिकाकर्ताओं ने नए ढांचे के तहत रोजगार सृजन में 50% की गिरावट को रेखांकित किया, जिसका कारण उन्होंने मांग-संचालित अधिकार से केंद्रीय नियंत्रित मॉडल में बदलाव को बताया।
- **संघीय लागत-साझाकरण में परिवर्तन:** नए कानून के तहत राज्यों का वित्तीय योगदान तीन गुना बढ़ गया है, जिससे वित्तीय बोझ का अनुपात 90:10 से बदलकर 60:40 हो गया है।

- **न्यूनतम मजदूरी पर बहस:** वकील ने तर्क दिया कि वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान करना बंधुआ/जबरन मजदूरी के बराबर है, जबकि पीठ ने ध्यान दिया कि मजदूरी की सीमा तय करते समय स्थानीय स्थितियों और रोजगार की उपलब्धता पर विचार किया जाना चाहिए।
- **काम का संवैधानिक दर्जा:** सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि काम का अधिकार भाग IV (DPSP) के तहत एक लोकतांत्रिक आकांक्षा बना हुआ है, न कि अनुच्छेद 21 के तहत एक निरपेक्ष मौलिक अधिकार।

आवश्यक परिभाषाएं

- **मांग-संचालित रोजगार:** एक कानूनी तंत्र जहां राज्य कानूनन बाध्य होता है कि जब भी कोई श्रमिक काम की मांग करता है, तो उसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर काम प्रदान करे, ऐसा न करने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
- **जबरन मजदूरी (Forced Labour):** दबाव में निकाला गया या वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से कम पर दिया गया अनैच्छिक काम, जो व्यक्तिगत गरिमा और कानूनी मानकों का उल्लंघन करता है।
- **राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP):** सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में राज्य नीति को निर्देशित करने के लिए भाग IV में निर्धारित गैर-न्यायसंगत संवैधानिक दिशानिर्देश।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है; कानूनी तर्कों ने न्यूनतम मजदूरी पर काम के अधिकार को गरिमापूर्ण जीवन में एकीकृत करने का प्रयास किया।
- **अनुच्छेद 41 (DPSP):** राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 23:** मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध करता है, जो न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान से संबंधित बहसों के लिए प्रासंगिक है।
- **वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम:** इसने निरस्त मनरेगा का स्थान लिया, जिससे ग्रामीण मजदूरी रोजगार शासन और वित्तीय आवंटन संरचनाओं का पुनर्गठन हुआ।

निष्कर्ष

मनरेगा से वीबी-जी राम जी अधिनियम में बदलाव गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा तंत्र के साथ वित्तीय विकेंद्रीकरण को संतुलित करने की चुनौती को उजागर करता है। यह सुनिश्चित करना कि संरचनात्मक संशोधन ग्रामीण रोजगार गारंटी या राज्य की वित्तीय व्यवहार्यता को कमजोर न करें, समावेशी आर्थिक विकास हासिल करने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन एवं कल्याणकारी योजनाएं):** केंद्र और राज्यों द्वारा कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; प्रदर्शन, तंत्र और कार्यान्वयन के मुद्दे।
- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था एवं संविधान):** मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21 और 23) बनाम राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 41); विधायी परिवर्तनों की न्यायिक समीक्षा।

10. भारत-यूके रक्षा सहयोग: रणनीतिक रोडमैप और हिंद-प्रशांत सुरक्षा ढांचा

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- रणनीतिक समीक्षा:** भारत और यूनाइटेड किंगडम ने नई दिल्ली में 25वीं भारत-यूके रक्षा परामर्शदात्री समूह (Defence Consultative Group) की बैठक के दौरान अपने चल रहे रक्षा औद्योगिक सहयोग की समीक्षा की।
- संस्थागत खाका:** यह जुड़ाव भारत-यूके विजन 2035 और 10-वर्षीय रक्षा औद्योगिक रोडमैप के ढांचे के तहत संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) को आगे बढ़ाने पर केंद्रित था।
- सशस्त्र बल आदान-प्रदान:** दोनों देश संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से तीनों सेनाओं में सैन्य-से-सैन्य आदान-प्रदान का विस्तार करने पर सहमत हुए।
- हिंद-प्रशांत सहयोग:** बातचीत में मजबूत समुद्री सुरक्षा सहयोग को स्वीकार किया गया, जिसमें इंडो-पैसिफिक ओशनस इनिशिएटिव (IPOI) के तहत 'रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' (RMSCE) की स्थापना को रेखांकित किया गया।
- रणनीतिक स्वायत्तता:** दोनों प्रतिनिधियों ने अपने विदेश नीति रुख में क्षेत्रीय शांति, पारस्परिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- साझा मूल्य:** इस साझेदारी ने शांति, क्षेत्रीय स्थिरता, नेविगेशन की स्वतंत्रता और आपसी सम्मान के साझा सिद्धांतों पर अपने संरेखण को पुनः सुदृढ़ किया।



आवश्यक परिभाषाएं

- रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):** एक विदेश नीति सिद्धांत जहां कोई राज्य बाध्यकारी सैन्य गठबंधनों में शामिल हुए बिना स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमताओं को बरकरार रखता है।
- इंडो-पैसिफिक ओशनस इनिशिएटिव (IPOI):** एक खुला, गैर-संधि-आधारित वैश्विक ढांचा जो बहु-स्तंभ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से समुद्री क्षेत्र को संरक्षित करने पर केंद्रित है।
- रक्षा औद्योगिक रोडमैप (Defence Industrial Roadmap):** सैन्य हार्डवेयर के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सह-विकास और सह-उत्पादन को सुगम बनाने के उद्देश्य से तैयार द्विपक्षीय दीर्घकालिक खाका।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(c):** राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) जो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देते हैं।
- सातवीं अनुसूची (संघ सूची - प्रविष्टि 1, 2 और 14):** संसद को भारत की रक्षा, नौसेना/सैन्य/वायु सेना, और विदेशी मामले/संधियों पर अनन्य शक्ति प्रदान करती है।

- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020:** अंतर्राष्ट्रीय रक्षा खरीद, संयुक्त उद्यमों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों को विनियमित करती है।

निष्कर्ष

25वीं रक्षा परामर्शदात्री समूह की बैठक भारत-यूके संबंधों के खरीदार-विक्रेता व्यवस्था से सहयोगात्मक सह-विकास की ओर संक्रमण को रेखांकित करती है। संयुक्त अनुसंधान एवं विकास का विस्तार करना और IPOI के तहत हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी क्षमताओं को मजबूत करना घरेलू रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता का समर्थन करते हुए नियम-आधारित व्यवस्था को सुदृढ़ करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **जीएस पेपर III (सुरक्षा एवं रक्षा):** रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण; हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा ढांचा।

11. गंगा बाढ़ के मैदान (Floodplain) नियम: पर्यावरण नियमों के संशोधनों को एनजीटी में चुनौती

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **केंद्र को एनजीटी का नोटिस:** नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 'गंगा नदी प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2026' को चुनौती देने वाली याचिका के बाद जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस जारी किया।
- **2016 के आदेश से बदलाव:** यह संशोधन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 2016 के आदेश को संशोधित करता है, जो पहले के पूर्ण "निर्माण-मुक्त क्षेत्र" (construction-free zone) के टैग को एक स्तरीय नियामक तंत्र से प्रतिस्थापित करता है।
- **तीन-स्तरीय ज़ोनिंग प्रणाली:** केंद्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप, ढांचा भूमि को सक्रिय बाढ़ के मैदान (1-में-5-वर्षीय वापसी अवधि), नियामक क्षेत्र (5-से-25-वर्षीय वापसी अवधि), और चेतावनी क्षेत्र (25-से-100-वर्षीय वापसी अवधि) में वर्गीकृत करता है।
- **सक्रिय बाढ़ के मैदान का पुनर्परिभाषा:** याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सक्रिय बाढ़ के मैदान को सख्ती से 1-में-5-वर्षीय बाढ़ वापसी अवधि से जोड़ना संरक्षित क्षेत्र को सीमित करता है, जो पिछले न्यायिक मिसालों से विचलन है जिन्होंने व्यापक 100-वर्षीय बाढ़ रेखाओं या निश्चित बफर क्षेत्रों को मान्यता दी थी।
- **कार्यकारी औचित्य:** केंद्र सरकार का तर्क है कि यह संशोधन कानूनी विसंगतियों को दूर करता है और पर्यावरण मानकों को कम किए बिना या मंजूरी की आवश्यकताओं को माफ किए बिना सटीक परिभाषाएं प्रदान करता है।

- **पारिस्थितिकी जोखिम:** पर्यावरणविदों का तर्क है कि संवेदनशील हिस्सों में निर्माण प्रतिबंधों को ढीला करने से रिवरफ्रंट अतिक्रमण को बढ़ावा मिलने, प्राकृतिक जल विज्ञान प्रवाह बदलने और भूजल पुनर्भरण क्षमता कम होने का जोखिम है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **सक्रिय बाढ़ का मैदान (Active Floodplain):** नदी तट का निचला क्षेत्र जो आवर्ती बाढ़ के दौरान अक्सर जलमग्न हो जाता है, जिसे विशेष रूप से 2026 के आदेश के तहत पांच साल में एक बार आने वाली बाढ़ वापसी अवधि के अधीन परिभाषित किया गया है।
- **बाढ़ वापसी अवधि (Flood Return Period):** एक सांख्यिकीय अनुमान जो किसी दिए गए परिमाण की बाढ़ की घटनाओं के बीच वर्षों में औसत समय अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है।
- **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT):** पर्यावरण संरक्षण और वनों व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए स्थापित एक विशेष वैधानिक निकाय।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21:** स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें प्राकृतिक नदी पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा शामिल है।
- **अनुच्छेद 48A (DPSP):** यह अनिवार्य करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** मूल वैधानिक विधान जो नदी के पुनरुद्धार के लिए आदेश जारी करने और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों के पास गतिविधियों को विनियमित करने की कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है।
- **गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016:** वैधानिक ढांचा जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) का गठन करता है और नदी तट संरक्षण मानदंडों को स्थापित करता है।

निष्कर्ष

नदी पारिस्थितिकी के साथ बुनियादी ढांचे के विकास को संतुलित करने के लिए वैज्ञानिक, दीर्घकालिक बाढ़ के मैदान प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना कि नियामक ज़ोनिंग गंगा बेसिन के प्राकृतिक प्रवाह, वहन क्षमता या भूजल पुनर्भरण कार्यों से समझौता न करे, नदी की पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी):** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)।
- **जीएस पेपर II (शासन एवं वैधानिक निकाय):** नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भूमिका और अधिकार क्षेत्र, कार्यकारी अधिसूचनाओं की न्यायिक समीक्षा, और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वैधानिक प्रवर्तन।

12. स्वदेशी परमाणु विस्तार: 700 MWe PHWR प्रौद्योगिकी को निजी क्षेत्र द्वारा अपनाया जाना

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **घरेलू PHWRs को प्राथमिकता:** भारत के नागरिक परमाणु क्षेत्र में नए निजी प्रवेशकर्ता स्थापित आपूर्ति श्रृंखलाओं, परिपक्व घरेलू बुनियादी ढांचे और स्थानीयकृत तकनीकी विशेषज्ञता के कारण स्वदेशी 700 MWe 'प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स' (PHWR) को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- **महत्वाकांक्षी क्षमता लक्ष्य:** भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी नागरिक परमाणु क्षमता को 100 गीगावाट-इलेक्ट्रिक (GWe) तक बढ़ाना है, जिसमें एनटीपीसी (NTPC) 30 GWe, अडानी समूह 10 GWe और जिंदल स्टील 18 GWe का लक्ष्य रख रहे हैं।
- **नियामक आधुनिकीकरण:** सरकार ने 'शांति अधिनियम' (SHANTI Act) के तहत मसौदा नियम जारी किए, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी, कैप्टिव उत्पादन, लाइसेंसिंग, सुरक्षा निगरानी और परमाणु दायित्व के लिए एक वैधानिक नियामक ढांचा स्थापित करते हैं।
- **फ्लीट परिनियोजन रणनीति:** उद्योग जगत के नेता लागत प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए 90-95% घरेलू स्वदेशीकरण का लाभ उठाते हुए, शुरू में फ्लीट मोड (Fleet Mode) में मानकीकृत 700 MWe PHWRs को तैनात करने की वकालत करते हैं।
- **उन्नत प्रौद्योगिकियों की भूमिका:** स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण और लागत अनुकूलन के अधीन, बाद के चरणों के लिए प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स (PWRs) और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) की कल्पना की गई है।
- **व्यावसायिक व्यवहार्यता का जनादेश:** अंतिम उपभोक्ताओं के लिए किफायती शुल्क बनाए रखने के लिए सभी रिएक्टर प्रौद्योगिकियों में उच्च स्थानीयकरण पर जोर दिया गया है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (PHWR):** एक परमाणु रिएक्टर जो ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का और शीतलक व न्यूट्रॉन मंदक (moderator) दोनों के रूप में भारी पानी (ड्यूटेरियम ऑक्साइड) का उपयोग करता है।
- **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR):** उन्नत परमाणु रिएक्टर जिनकी बिजली क्षमता आमतौर पर प्रति इकाई 300 MWe तक होती है, जिन्हें कारखाने में निर्माण और त्वरित क्षेत्र स्थापना के लिए मॉड्यूलर तकनीक के साथ डिज़ाइन किया गया है।

- **फ्लीट मोड परिनियोजन (Fleet Mode Deployment):** आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को अनुकूलित करने, निर्माण अवधि को कम करने और पूंजीगत लागत को घटाने के लिए विभिन्न स्थलों पर एक साथ कई मानकीकृत परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करना।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **शांति अधिनियम - मसौदा नियम (SHANTI Act Draft Rules):** निजी क्षेत्र के प्रवेश, सुरक्षा प्रोटोकॉल, कैप्टिव उत्पादन और नागरिक परमाणु दायित्व के लिए शासी नियामक ढांचा प्रदान करता है।
- **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (Atomic Energy Act, 1962):** भारत में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण और उपयोग को विनियमित करने वाला प्राथमिक वैधानिक ढांचा।
- **सातवीं अनुसूची (संघ सूची - प्रविष्टि 6):** संसद में "परमाणु ऊर्जा और इसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संसाधन" पर अनन्य विधायी शक्ति निहित करती है।

निष्कर्ष

स्वदेशी 700 MWe PHWRs को प्राथमिकता देना भारत की नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक शुरुआती बिंदु प्रदान करता है। एक मजबूत वैधानिक दायित्व ढांचे के भीतर निजी उद्यमों को एकीकृत करना लागत प्रभावी डीकार्बोनाइजेशन सुनिश्चित करता है और दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा स्वतंत्रता लक्ष्यों के साथ संरेखित होता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):** प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, परमाणु प्रौद्योगिकी में प्रगति, और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग।
- **जीएस PAPER III (बुनियादी ढांचा एवं अर्थव्यवस्था):** अक्षय ऊर्जा लक्ष्य, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन, बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी, और नियामक शासन।

SIXSIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver